

प्रेषक,
राम गोपाल मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 24 जून ,2008
विषय: इनक्रेडेबिल इण्डिया, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना प्रदेश में लागू करने विषयक ।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर शासनादेश संख्या-1007 / 41-2008-4(सा0) / 2008 दिनांक 08 मई 2008 की ओर कृपया ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08 मई 2008 के संलग्नक के पृष्ठ-3 पर शीर्षक 'पंजीयन शुल्क' के अन्तर्गत तीसरी लाइन में वाक्य यह धनराशि ड्राफ्ट के रूप में पे एण्ड एकाउण्ट आफिसर, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के नाम जमा करायी जायेगी' के स्थान पर यह धनराशि चालान द्वारा लेखा शीर्षक-1452-पर्यटन-99-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा करायी जायेगी ' पढ़ा जाय।

अतः शासनादेश संख्या-1007 / 41-2008-4(सा0) / 2008 दिनांक 08 मई 2008 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
ह0/-
(राम गोपाल मौर्य)
उप सचिव।

पू0सं0-1578(1) / 41-2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त / गृह / आवास एवं शहरी विकास / नगर विकास / संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन / उर्जा / उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
ह0/-
(राम गोपाल मौर्य)
उप सचिव ।

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 08 मई, 2008

विषय: 'इनकडेबिल इण्डिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना, प्रदेश में लागू करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानगरों एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को आरामदायक, सस्ती एवं सुलभ, स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु " बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना" के अन्तर्गत 'होम स्टे' सुविधा उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में उपलब्ध कराने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- 2- यह योजना प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों/महानगरों में लागू की जा सकेगी।
- 3- बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम लागू करने हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। संदर्भ में अपेक्षित है कि कृपया अपने जनपद में स्थित पर्यटक स्थलों में आवासीय सुविधा की अभिवृद्धि हेतु तत्परता से कार्यवाही करते हुये उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पंजीयन कराके निदेशक पर्यटन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दे ताकि पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।
- 4- यह योजना एक अव्यवसायिक योजना मानी जायेगी।
- 5- भारत सरकार द्वारा 'इनकडेबिल इण्डिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम' के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त इकाईयों, योजना के अन्तर्गत स्वतः अनुमोदित मानी जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1007(1)/41-08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त उ०प्र० शासन।
- 3- निदेशक पर्यटन, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।
- 4- समस्त मण्डलायुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

आज्ञा से.

राम गोपाल मौर्य,
उप सचिव।

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना

उत्तर प्रदेश में बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना के अन्तर्गत इकाइयों के परिचालन एवं पंजीकरण हेतु यह योजना लागू की जा रही है।

1- संक्षिप्त नाम तथा विस्तार/प्रारम्भ एवं आवेदन विनियोग -

- क- यह योजना, उ0प्र0 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना- 2008, कहलायेगी।
- ख- इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- ग- यह योजना तत्काल प्रभावी होगी।
- घ- यह योजना अन्य प्रकार की आवासीय सुविधाओं यथा रिसॉर्ट, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग- लाजिंग गृहों पर लागू नहीं होगी।

2- परिभाषाएं

इस योजना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (1) "अपीलीय अधिकारी" से तात्पर्य प्रमुख सचिव अथवा सचिव पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा सरकार द्वारा नामित ऐसे किसी अधिकारी से है।
- (2) "आवेदक" से तात्पर्य आवासीय इकाई के स्वामी से है जो पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा।
- (3) "अधिकृत एजेन्सी" से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो वर्णित प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से योजना के पंजीकरण, सरलीकरण और वणिज्यिक विपणन के संदर्भ में निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु गठित है।
- (4) "बेड एण्ड ब्रेकफास्ट" से तात्पर्य आवासीय तथा नाशते की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से है।
- (5) "पंजीकरण प्रमाण पत्र" से तात्पर्य इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई को प्रदत्त मान्यता प्रपत्र से है।
- (6) "वर्गीकरण समिति" से तात्पर्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं सेवाओं के स्तर की जाँच हेतु गठित समिति से है।
- (7) "निर्देशिका" से तात्पर्य पंजीकृत इकाइयों की निर्देशनी से है।
- (8) "इकाई" से तात्पर्य ऐसे आवासीय परिसर से है जो इस अधिनियम की उपधारा के अन्तर्गत अतिथियों को भुगतान के आधार पर बिस्तर एवं नाशते की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।
- (9) "परिवार" से तात्पर्य इकाई में रहने वाले भवन स्वामी के पत्नी,माता,पिता, तथा सन्तान एवं निकट संबंधियों से है जो उक्त आवास में ही निवास करते हो।
- (10) "अतिथि" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अस्थायी रूप से उक्त आवासीय इकाई में ठहरा हो।
- (11) "स्थानीय निकाय" से तात्पर्य नगर पालिका एवं अन्य ऐसी संस्थाओं से है, जो बिजली पानी आदि की सुविधायें उपलब्ध कराते है।
- (12) "स्वामी" आवासीय इकाईयों के संदर्भ में स्वामी से तात्पर्य भवन स्वामी तथा किसी ऐसे व्यक्ति से भी है जो तत्समय उसमें प्रबन्ध का प्रभारी हो।

- (13) " विहित " से तात्पर्य इस योजना के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।
- (14) " विहित प्राधिकारी " से तात्पर्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी से है।
- (15) " पंजीकरण " से तात्पर्य पंजिका अथवा कम्प्यूटर में संगणित इकाइयों के विवरण से है।
- (16) "कक्ष" से तात्पर्य ऐसे शयन कक्ष से है जिसमें दो से अधिक बिस्तर न हों तथा अतिथि के साथ स्थित बच्चों हेतु अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था वाला हो।
- (17) " नियम " से अभिप्राय इस नियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है जिसे शासकीय गजट में विशेष अधिसूचना द्वारा विहित किया जाय।
- (18) " योजना " से अभिप्राय "इंकेडिबल इण्डिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना" से है।
- (19) "दलाल " से तात्पर्य खरीददारी, आवासीय, परिवहन, स्थानीय भ्रमण अथवा किसी अन्य कार्य हेतु प्रलोभित करने, भ्रामक सूचना देने अथवा निजी स्वार्थ हेतु उत्प्रेरित करने से है।

3- पंजीकरण एवं वर्गीकरण प्रक्रिया एवं शर्तें

- (1) कोई भी भवन स्वामी जो अतिथियों को अपने भवन के आवासीय कक्ष उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक हो, योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु इस योजना में वर्णित प्राधिकृत प्राधिकारी को वर्णित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा।
- (2) इस योजना के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाइयों को पंजीकृत किया जायेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों-
- (अ) आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें निवास करता हो।
- (ब) भवन स्वामी अपने आवास गृह में दो तिहाई कक्षों से अधिक योजना के अन्तर्गत किराये पर न दे सकेगा। इस प्रकार किराये पर उठाये जाने वाले कक्षों की अधिकतम संख्या 5 दो शैय्या वाले कक्ष तथा न्यूनतम एक दो शैय्यावाला कक्ष होगा।
- (स) प्रत्येक शयनकक्ष के साथ शौचालय सम्बद्ध होना आवश्यक है जो कमोड, पर्याप्त जल तथा विद्युत सुविधा वाला, हवादार, प्रकाशयुक्त तथा अन्य आवश्यक उपकरणों तथा फर्नीचर युक्त होना चाहिये।
- (द) आवासीय इकाई समुचित रूप से साफ-सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होनी चाहिये।
- (य) पार्किंग हेतु इकाई में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये।
- (र) इकाई पंजीकरण समिति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु संस्तुत होनी चाहिये।
- (ल) अन्य कोई शर्त जिसे समय-समय पर विहित किया जाये।

- 3— प्राधिकृत अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र अधिकृत समिति को परीक्षण हेतु अग्रसारित करेगा ।
- 4— पंजीकरण समिति आवेदित परिसर के निरीक्षण के उपरान्त यदि कोई कमियाँ हैं तो उन्हें इंगित करेगी । आवेदक को उक्त कमियों का निराकरण उस निश्चित अवधि में करना होगा, जो समिति द्वारा निर्धारित की जाय । समिति के सन्तुष्ट न होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न प्रारूप पर आवेदन पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में जमा कराये जा सकेंगे ।

पंजीयन शुल्क

निजी भवन स्वामी इस आवेदन पत्र के साथ "सिल्वर श्रेणी" के अन्तर्गत आवेदन हेतु रू० 1,000/— तथा "गोल्ड श्रेणी" के अन्तर्गत रू० 2,000/— पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करायेगें । यह धनराशि ड्राफ्ट के रूप में 'पे एण्ड एकाउन्ट आफिसर, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली' के नाम जमा करायी जायेगी ।

वर्गीकरण

- अ— बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना दो श्रेणियों में वर्गीकृत की जायेगी,
 - 1— सिल्वर
 - 2— गोल्ड

वर्गीकरण समिति इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन, इस योजना में परिभाषित सेवा स्तरों के आधार पर करते हुये इकाई को पंजीकरण प्रदान करेगी ।
- ब— योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत इकाइयों की सूचना पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक निर्देशिका में प्रकाशित कर कराई जायेगी ताकि पर्यटकों तक उनकी जानकारी पहुँच सके ।
- स— योजना के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयों पंजीकरण की तिथि से 2 वर्ष हेतु मान्य होंगी । पंजीकरण समाप्त होने पर विगत पंजीकरण समाप्त की तिथि से 3 माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा ।
- द— योजना के अन्तर्गत ऐसी इकाइयों के पंजीकरण को प्रमुखता दी जायेगी जो अपनी साज-सज्जा, व्यञ्जन प्रस्तुतीकरण में विशुद्ध भारतीय परम्पराओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करते हों ।

4- समिति-

| | | |
|----|--|--------------|
| क- | क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति में निम्न सदस्य होंगे- | |
| 1- | जिला अधिकारी | अध्यक्ष* |
| 2- | उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अथवा सी0ई0ओ0 नोयडा / ग्रेटर नोयडा | सदस्य |
| 3- | स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी | सदस्य |
| 4- | जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 5- | संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी | संयोजक सदस्य |

*उपाध्यक्ष अथवा जिलाधिकारी में से वरिष्ठतम सदस्य समिति की अध्यक्षता करेगा। नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा हेतु सी0ई0ओ0 इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

(ख) परीक्षण समिति

| | | |
|----|---|--------------|
| 1- | जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से निम्न न हो। | अध्यक्ष |
| 2- | उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि अथवा सी0ई0ओ0 नोयडा / ग्रेटर नोयडा द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| 3- | स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी | |
| 4- | जनपद के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5- | उ0प्र0 होटल एसोसियेशन द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6- | सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी | संयोजक सदस्य |

आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा प्रस्ताव परीक्षण हेतु "परीक्षण समिति" को प्रस्तुत किया जायेगा। परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदन हेतु उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों पर "अधिकृत समिति" अन्तिम रूप से अनुमोदन प्रदान करेगी

5- पंजीयन रद्द किया जाना -

- 1- पंजीकृत इकाईयो के लिये योजना के विशिष्ट स्तरों को प्रत्येक समय बनाये रखना अनिवार्य होगा। पंजीकृत इकाईयो का किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा रख रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा।
- 2- यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक (क्राइम) मामला पाया जाता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 3- भवन स्वामी द्वारा की गई किसी अनियमता का पता चलता है तो ऐसे भवन स्वामी को साक्ष्य हेतु उपयुक्त अवसर दिया जायेगा तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर तदनुसार संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की संस्तुति पर

निदेशक/महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश द्वारा निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- 4— भवन स्वामी द्वारा इस योजना में दी जा रही सुविधा में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना तीस दिन के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी को देना होगा अन्यथा समिति द्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।

6— भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध

- 1— भवन स्वामी होटल की भांति आवास में फ्रंट डेस्क (रिशेप्शन काउन्टर) नहीं लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भांति ही रखेगा।
- 2— भवन स्वामी किसी प्रकार की वाणिज्यक गतिविधियों यथा— यात्रा पैकेज, ट्रैवेल एजेन्सी, परिवहन सुविधा, हस्त शिल्प अथवा किसी अन्य वाणिज्यक गतिविधि का संचालन इकाई से नहीं करेगा।
- 3— कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेगा जिससे आस-पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।
- 4— इकाई के विषय में भ्रामक सूचनाएं प्रचलित नहीं करेगा।
- 5— किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नहीं होगा।
- 6— नियमानुसार आवासीय दर लागू होगी।
- 7— पर्यटकों के आवास की सूचना से भवन स्वामी द्वारा स्थानीय थाने पर तत्काल सूचित करना होगा।
- 8— आवास करने वाले पर्यटकों की सूची हेतु एक रजिस्टर रखना होगा।

7— अतिथियों का दायित्व—

- 1— अतिथि अपने विषय में मांगी गई समुचित सूचनाएं भवन स्वामी की पंजिका में दर्ज करायेगा।
- 2— आवासीय इकाई में रहने की अवधि में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि को नहीं करेगा जो प्रशासनिक/ सामाजिक व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करें। अपना व्यवहार उत्तम रखेगा तथा गृह स्वामी तथा पड़ोसियों की आवासीय गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।
- 3— अपनी रसोई अलग नहीं चलायेगा।
- 4— भवन में यदि जाने-अनजाने उसके द्वारा कोई टूट फूट होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा।
- 5— वह भवन को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने में भवन स्वामी की भरसक मदद करेगा।
- 6— अतिथि अपने से मिलने आने वाले किसी व्यक्ति को इकाई में रात्रि में रूकने देने हेतु दबाव नहीं बनायेगा।

8— योजना के अन्तर्गत पंजीकृत भवनो को अनुमन्य लाभ—

- 1— योजना के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त करने वाले भवन स्वामी सराय एक्ट अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का पंजीकरण प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त होंगे।
- 2— इकाई पूर्णतः अव्यवसायिक मानी जायेगी जिसका अभिप्रायः होगा कि:—
 - (अ) जल तथा विद्युत प्रभार घरेलू दरों पर ही देय होगा।
 - (ब) किराये पर उठाये जाने वाले आवासीय भाग हेतु भवन कर, आवासीय दर पर ही आगणित होगा।
 - (स) भवन सुख साधन कर से भी मुक्त रहेगा।

पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को समय समय पर गाइड लाइन्स, नियम एवं शर्तों पर परिवर्तन किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रारूप-1
बेड एवं ब्रेक फास्ट योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

- 1- इकाई का नाम -
- 2- आवेदित श्रेणी- सिल्वर/गोल्ड -
- 3- भवन स्वामी का नाम या अधिकृत संचालक का नाम -
- 4- इकाई का पूरा पता -
 - (अ) दूरभाष संख्या -
 - (ब) फ़ैक्स -
 - (स) ई-मेल -
 - (द) मोबाइल नं० -
- 5- इकाई से दूरी -
 - (अ) एयर पोर्ट-
 - (ब) रेलवे स्टेशन-
 - (स) सिटी सेन्टर -
 - (द) निकटतम बाजार -
 - (य) निकटतम बस अड्डा/बस स्टाप -
- 6- इकाई का विवरण-
 - (अ) इकाई निजी स्वामित्व में है अथवा लीज पर है(विक्रय/लीज पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय)
 - (ब) क्या भवन का नक्शा तथा उसका भू-उपयोग स्थानीय निकाय से अनुमोदित है। (छाया प्रति संलग्न की जाय)
 - (हाँ) (नहीं)
 - (स) सड़क की चौड़ाई जिस पर भवन अवस्थित है।
 - (द) इकाई अथवा उसके निकट पार्किंग हेतु उपलब्ध स्थान का विवरण
 - (य) भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
 - (र) निमित्त भवन का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
- 7- इकाई में उपलब्ध कमरे
 - (अ) एक शैय्या वाले कक्ष (प्रत्येक के आकार सहित

- (ब) दो शैय्या वाले कक्ष (प्रत्येक के आकार सहित)
- 8— योजना के अन्तर्गत किराये पर उठाये जाने हेतु प्रस्तावित शौचालय वाले कक्षों की संख्या
- 9— निम्नलिखित हेतु उपलब्ध स्थान
(अ) बैठक स्थल/लाउंज
(ब) भोजन कक्ष
- 10— उपलब्ध अतिरिक्त सुविधायें, यदि हो (आवश्यक नहीं)
(अ) इको-फ्रेन्डली सुविधायें
(ब) विकलांगों हेतु उपलब्ध सुविधायें
- 11— अग्निशमन संयंत्रों का विवरण यदि हो —
- 12— किस प्रकार का भोजन दिया जायेगा —
- 13— कमरों का किराया —
(अ) एक शैय्या कक्ष—
(ब) दो शैय्या कक्ष —
- 14— पंजीकरण शुल्क का विवरण
(अ) ड्राफ्ट का नं० एवं दिनांक
(ब) धनराशि
- 15— संलग्नकों का विवरण
(अ) भवन स्वामी की पृष्ठ भूमि पर परिशिष्ट
(ब) भवन स्वामी के परिवार तथा भवन के अन्य निवासियों का, उनकी आयु, व्यवसाय तथा भवन स्वामी के साथ उनके संबंध का विवरण
(स) इकाई में उपलब्ध सुविधाओं की जाँच सूची
उपर दर्शायी गयी सूचनाएँ तथा संलग्न अभिलेख जहाँ तक मेरी जानकारी है, के अनुसार सही एवं प्रमाणिक है

भवन स्वामी का हस्ताक्षर तथा नाम

स्थान :
दिनांक :